



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 5-1(34)/2008-पीडी

Dated 01.04.2025

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

विषय : सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियम, 2022 - नए नियम 11.11 के सम्मिलन के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियम, 2022 के नियम 1.3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आईएफडी, सीएसआईआर की सहमति से, सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियम, 2022 में नए नियम 11.11 को शामिल करने हेतु मंजूरी दी है, जो निम्नानुसार है:

“जब किसी कर्मचारी को एक प्रयोगशाला/संस्थान/मुख्यालय/केंद्र में सार्वजनिक हित में स्थानांतरित किया जाता है जहां स्टेशन का परिवर्तन शामिल हो है और अधिकारी पुराने स्टेशन पर अपने कब्जे में निवास को बनाए रखना चाहता है, यदि किसी अधिकारी द्वारा इस तरह के स्थानांतरण के दो महीने के भीतर अनुरोध किया जाता है, तो नियंत्रक प्रयोगशाला/संस्थान के प्रमुख तैनाती के नए स्थान पर आवास को बनाए रखने की अनुमति देगा। इस तरह के प्रतिधारण के लिए लाइसेंस शुल्क निवास के प्रतिधारण की अवधि के लिए सामान्य दर पर लिया जाएगा। हालांकि, वह अपनी नई तैनाती के स्थान पर परिषद आवास के आवंटन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह अपनी अंतिम तैनाती स्थल पर परिषद आवास को बरकरार रखता है। इस मामले में मकान किराया भत्ते (एचआरए) की पात्रता सीएसआईआर/भारत सरकार के एचआरए पर निर्देशों द्वारा शासित होगी।”

2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(भवदीय,

(छेरिंग तोबदन)
वरिष्ठ उप सचिव (नीति प्रभाग))

प्रतिलिपि :

1. सीएसआईआर वेबसाइट
2. कार्यालय प्रति



वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

सहकारी समितियों एक बेहतर
दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 5-1(34)/2008-PD

Dated 01.04.2025

From : Joint Secretary (Admn.)

To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs/Instts/Units

Sub. : CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022 – Insertion of New Rule 11.11 - reg.

Sir/ Madam,

I am directed to state that the DG, CSIR, in exercise of the powers conferred under Rule 1.3 of CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022 and with the concurrence of IFD, CSIR, has accorded approval to insert new Rule 11.11 in the CSIR (Residence Allotment) Rules, 2022, as under:

"When an employee is transferred in public interest to a Laboratory/Institute/Headquarters/Centre where change of station is involved, and the officer wish to retain the residence in his/her occupation at the last station of his/her posting, Head of the controlling Lab./Instt. shall allow retention of residence, if requested by an officer within two months of such transfer. The licence fee for such retention shall be charged at the normal rate for the period of retention of the residence. However, he/she will not be entitled for allotment of Council residence at the new place of his posting till the time he/she retains the Council residence at his last station of his posting. Entitlement of House Rent Allowance (HRA) in this case, will be governed by CSIR/Government of India's instructions on HRA."

2. This shall come into force with immediate effect.

Yours faithfully,

(Chhering Tobden)

Sr. Deputy Secretary (PD)

Copy to:

1. CSIR Website
2. Office Copy